न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगंगानगर

गुरदेवसिंह बनाम राज0 सरकार

प्रकरण सं0 – 2021/970 (Gcms)

अन्तर्गत धारा– 136 एल.आर.एक्ट

12.11.2021 प्रार्थी गुरदेवसिंह पुत्र सरवनसिंह जाति मजहबी साकिन 9 डीडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने नाम से जमाबन्दी में दर्ज चक 9 डीडी के मु0 नं0 106/62 के किला नं0 1 ता 25 की 6.325 है0 व प0 नं0 126/22 के किला नं0 1 ता 5, 7 ता 10, 20 की कुल 2.530 है0 कुल 8.855 है0 कमाण्ड/अ0क0 रकबे की सीएडी सर्वे अनुसार अन्तर राशि जमा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करवाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

तहसीलदार घड़साना से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मुताबिक जमाबन्दी चक 9 डीडी के प0 नं0 106/62 के किला नं0 1 ता 25 की 6.325 है0 कमाण्ड/अ0क0, मु0 नं0 126/22 के किला नं0 1 ता 5, 7 ता 10, 20 की 2.530 है0 कमाण्ड कुल 8.855 है0 कमाण्ड/अ0क0 भूमि मुताबिक जमाबन्दी कश्मीरसिंह पुत्र सरवनसिंह हि0 2213/8855, गुरदेवसिंह पि0 सरवनसिंह हि0 1/5, नक्षत्रसिंह पि0 रामरख हि0 554/8855, पंजाबकौर पत्नी रामरख हि0 443/8855, बिल्लुसिंह पि0 सरवनसिंह 2214/8855, मंगासिंह पि0 रामरख हि0 79/1265, मितो पुत्र रामरख हि0 79/1265, रानीकौर पत्नी रामरख हि0 554/8855 जाति हरिजन साकिन 43 एफ गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। वर्तमान में उक्त रकबे पर कोई विवाद/स्थगन नहीं है। आवंटन आदेश की प्रमाणित चित्रप्रति के अनुसार चक 9 डीडी के मु0 नं0 106/62 के किला नं0 1 ता 10 की 10–00 बीघा कमाण्ड, मु0 नं0 126/22 के किला नं0 1 ता 5, 7 ता 10, 20 की 10–00 बीघा कुल 20–00 बीघा कमाण्ड रकबा सरवनसिंह पि0 सुन्दरसिंह जाति हरिजन साकिन 43 एफ करणपुर को दिनांक 16.06.76 को कीमतन आवंटित हुइ। कमीपूर्ति में चक 9 डीडी के मु0 नं0 106/62 के किला नं0 11 ता 16 की 6–00 बीघा अ0क0 रकबा सरवनसिंह पि0 सुन्दरसिंह मजबी साकिन 43 एफ करणपुर को 23.03.78 को आवंटित हुई। आवंटी सरवनसिंह पि0 सुन्दरसिंह मजबी सिख साकिन 9 डीडी को स्मालपेच की श्रेणी में चक 9 डीडी के मु0 नं0 106/62 के किला नं0 17 ता 25 की 9–00 बीघा अ0क0 रकबा दिनांक 05.04.78 को 4725/–रूप्ये में आवंटित हुआ। अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन अनूपगढ़ शाखा खण्ड द्वितीय, घड़साना की सीएडी तस्दीक सं0 2263 दिनांक 26.02.2021 के अनुसार चक 9 डीडी के मु0 नं0 106/62 व 126/22 की सीएडी स्कीम दिनांक 10.03.76 से स्वीकृत है। मु0 नं0 106/62 के किला नं0 1 ता 9, 14/0.07, 15 कुल 10.07 बीघा कमाण्ड है व शेष अ0क0 है। मु0 नं0 126/22 के किला नं0 1 ता 22, 23 ता 25 कुल 24–00 बीघा कमाण्ड व किला नं0 22 की 1–00 बीघा अ0क0 है। प्रार्थी सीएडी सर्वे अनुसार अन्तर राशि व बकाया किश्त जमा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करवाना चाहता है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र अनुसार किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं है। 6–ए व वनविभाग से प्रभावित नहीं है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि की सीएडी सर्वे अनुसार अन्तर राशि जमा करवाकर जमाबन्दी में सीएडी अनुसार दर्ज करवाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार घड़साना से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि प्रार्थी के नाम गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र अनुसार उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में है उक्त भूमि पर कोई स्थगन/विवाद नहीं है। प्रार्थी की भूमि सीएडी में अ0क0 से कमाण्ड हो चुकी है। अतः यदि किसी न्यायालय में स्थगन/विवाद ना हो तो नियमानुसार जांचकर प्रार्थी से सीएडी सर्वे अनुसार नियमानुसार अन्तर राशि जमा करवाकर सीएडी सर्वे अनुसार जमाबन्दी में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार घड़साना को पालना के लिए पत्र जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना